पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईंट भट्टा समा0यो0/(2009-2010)-155 / 1112015 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ :: मई 5 ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-240/ग्यारह-2010-9(32)/09 दिनांक 04-02-2010 द्वारा ईंट भट्टा समाधान योजना सीजन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 01-10-2009 से दिनांक 30-9-2010 तक की अवधि) निर्गत की गयी थी, जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-1(3) ईंट भट्टा समा0यो0(2009-10)/ 1841/ 0910085 दिनांक 05-02-2010 द्वारा परिपत्रित किया गया था।

2- शासन के उक्त पत्र दिनांक 04-02-2010 में दिए गए निर्देश के प्रस्तर(16) के अनुसार यदि ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2009-2010 के प्रारम्भ अर्थात दिनांक 01-10-2009 से पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्ठो से रू0 252 करोड़ से अधिक समाधान राशि सीजन वर्ष 2009-2010 में प्राप्त होती है, तो अधिक प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईंट निर्माताओं को अगले सीजन वर्ष देय होने वाली समाधान राशि में समायोजित की जाएगी। जिन भट्टों के सम्बन्ध में अगले सीजन वर्ष में समाधान योजना नही अपनाई जाएगी, उन्हें यह समायोजन अनुमन्य नही होगा।

3- मुख्यालय के पत्र सं0-विधि-1(3) ईंट भट्टा समा0यो0(2010-11)/ 1679/ 1011074 दिनांक 29-12-2010 द्वारा ईट भट्टा समाधान योजना सीजन वर्ष 2010-2011(दिनांक 01-10-2010 से दिनांक 30-9-2011 तक की अवधि) से सम्बन्धित शासन का पत्र संख्या-क0नि0-1939/ग्यारह-2-2010-9(32)/09 दिनांक 29-12-2010 प्रसारित किया गया था। शासन के उक्त पत्र दिनांक 29-12-2010 के प्रस्तर (19) के अनुसार सीजन वर्ष 2009-2010 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईंट भट्टों द्वारा सीजन वर्ष 2009-2010 के लिए दिनांक 31-12-2010 तक जमा समाधान राशि रू0 252 करोड़ से जितनी अधिक होगी, उसका 50 प्रतिशत धनराशि समानुपातिक रूप से सीजन वर्ष 2010-2011की समाधान योजना की अन्तिम किश्त में समायोजित की जाएगी, यदि ऐसे व्यापारियों द्वारा ऐसे ईंट भट्टे के लिए सीजन वर्ष 2010-11 में समाधान योजना स्वीकार की गयी है। शासन के इस निर्देश के प्रस्तर(6) के अनुसार सीजन वर्ष 2010-11 के लिए अन्तिम किश्त दिनांक 20-5-2011 तक जमा की जानी है। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र सं0-क0नि0-398/ग्यारह-2-2011-9(32)/09 दिनांक 01-4-2011 द्वारा भी यह निर्देश दिए गए है कि जिन व्यापारियों को सीजन वर्ष 2009-2010 में अधिक जमा धनराशि का लाभ देय है, उनकी अधिक धनराशि का समायोजन माह मई, 2011 की किश्त में कर दिया जाए।

4- जोनल एडीशनल कमिश्नर से प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार सीजन वर्ष 2009-2010 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत ईंट भट्ठों से सीजन वर्ष 2009-2010 के लिए दिनांक 31-12-2010 तक रू0 259 करोड़ प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार निर्धारित लक्षित धनराशि रू0 252 करोड़ से रू0 07 करोड़ अधिक प्राप्त हुए हैं, जिसका 50 प्रतिशत अर्थात रू0 3.50 करोड़ का समायोजन किया जाना है।

5- अत: एतद् द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए जाते हैं:-

(1) ईट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2009-2010 स्वीकार करने वाले दिनांक 01-10-2009 के पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत ईट भट्ठों द्वारा दिनांक 31-12-2010 तक जमा समाधान राशि के 1.175 प्रतिशत का समायोजन, सीजन वर्ष 2010-2011 में समाधान योजना अपनाने वाले भट्ठों द्वारा सीजन वर्ष 2010-2011 के लिए मई, 2011 में जमा की जाने वाली समाधान राशि की अन्तिम किश्त में किया जाएगा।

(2) सीजन वर्ष 2009-2010 के दौरान पंजीकृत ईट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2009-2010 स्वीकार करने वाले ईट भट्ठों द्वारा दिनांक 31-12-2010 तक जमा समाधान राशि के 1.175 प्रतिशत का समायोजन सीजन वर्ष 2010-2011 के लिए मई, 2011 में जमा की जाने वाली समाधान राशि की अन्तिम किश्त में किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त 1.175 प्रतिशत का समायोजन ऐसे ईंट भट्ठों को अनुमन्य नहीं होगा, जो सीजन वर्ष 2009-2010 में समाधान योजना में सम्मिलित रहे हों लेकिन सीजन वर्ष 2010-2011 में समाधान योजना स्वीकार नही की गयी है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर व्यापारिक / अधिवक्ता संघों को उपलब्ध करायें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।